–: अधिसूचना :–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 911–15/भवन निर्माण–2010, दिनांक 16.09.2011 के माध्यम से **मातृत्व हितलाभ योजना** अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या–1469/छत्तीस–2–12–251 (एस0एम0)/95टी0सी0–111, दिनांक 12.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली मातृत्व हितलाभ योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित महिला कर्मकार को रू0 12,000/– का भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुरूष कामगारों के पत्नियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ की परिधि में लाते हुये उन्हें भी कुल रू0 6000/– दो किश्तों में दिये जायेंगे।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होंगे।

तद्नुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(शालिनी प्रसाद)
सचिव, बोर्ड।